राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः–प.10(147)नविवि/3/2008 पार्ट – III   जयपुर, दिनांकः – 2 JUN 2021

आदेश

विद्यमान मोबाईल टावरो के नियमितिकरण के सम्बन्ध में इस विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.12.2020 की निरन्तरता में नगरीय निकाय स्तर पर प्राप्त शिकायतो/आपत्ति के परीक्षण एवं रेडियेशन के संबंध में निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है। यह समिति टेलीकॉम एजेन्सियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर निस्तारित किया जाना एवं टेलीकॉम एजेन्सियों से मासिक/त्रैमासिक रेडियेशन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर निदेशक, टेलीकॉम को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगी। उक्त समितियों की रिपोर्ट नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी।

विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद हेतु प्रस्तावित समितिः–

1. उपायुक्त/सचिव, संबंधित निकाय।
2. प्रतिनिधि, निदेशक टेलीकॉम।
3. संबंधित सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक।

नगर पालिकाओं हेतु प्रस्तावित समितिः–

1. अधिशाषी अधिकारी, संबंधित निकाय।
2. प्रतिनिधि, निदेशक टेलीकॉम।
3. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता।
4. नगरीय निकाय में पदस्थापित नगर नियोजन संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
3/6/21
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
5. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
8. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) राज. सरकार।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम